

27/11/25

पञ्चवली पेश हुई। उभय पक्ष उपर
 प्र. पञ्च 07 R॥ जोन्दी ली बहस पूर्व में
 हुनी जा चुकी है। मौखिक बहस।
 पञ्चवली में उपलब्ध दस्तावेजों के
 अवलोकन मजदूरों से प्राप्ति। प्राप्ति
 सं. पक्ष 7 की ओर से प्रस्तुत प्रा. पञ्च
 स्वीकार किया जाना उचित नहीं
 होगा है। अतः प्राप्ति / परिवारी सं.
 पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रा. पञ्च 07 R॥
 जोन्दी स्वीकार किया जाना है।
 विस्तृत निर्णय स्वीकार किया जाकर
 शामिल मिसाल किया गया। अतः
 वादी का वाद इसी स्वरूप पर
 खारिज किया जाना है। आदेश
 खुले न्यायालय में सुनाया गया
 पञ्चवली फैसला सुमार. को. कर
 500 नै. से कम होकर दायित्व
 दायित्व है।

उपखण्ड अधिकारी
 सांभरलेक